

Ref No- 141/OA-65/Ashu Chauhan/2022.

dt- 2-5-22.

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal  
Principal Bench, New Delhi

**Subject :- Factual and Action taken report in compliance of order dated 02-02-2022 in OA No. 65/2022 Ashu Chauhan Versus State of Uttar Pradesh**

Respected Sir,

- In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-
1. "Grievence in the application by applicant Mr Ashu Chauhan is regarding running of around 30 Jaggery units (Kolhu )in Village Badka Baghpat , Tehsil Baraut, Uttar Pradesh without following environment norms. It is submitted that the residents of the village are suffering because of the pollution caused by this jaggery units(kolhu).it is prayed that these jaggery making units(kolhu)be directed to operate outside of the village territory and follow all environment norms.
  2. Having regard to the seriousness of the allegations and taking note of the photographs enclosed in the complaint, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a joint committee of the CPCB,SPCB, Secretary Small scale industry,Government of Uttar Pradesh and the District Magistrate-Baghpat, State of Uttar Pradesh. The State PCB will be nodal agency for coordination and compliance. The joint committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF  
List the matter for consideration on 11/05/2022 "

In the compliance of above directions an inspection of the jaggery units (kolhu) mentioned in the order of Hon'ble Tribunal, was carried out by a joint inspection team comprising of the officials from the offices of District Magistrate, Baghpat , Dy Commissioner industries, CPCB and UP Pollution Control Board, Meerut inspected the jaggery units (kolhu) mentioned in the order on dated 02/02/2022 and joint committee has recommended for action taken against the Kolhus under section 31A of Air(Prevention and control of pollution)Act 1981 as well as imposed Environment Compensation as per CPCB guidelines.(Annexure-1) In continuation UPPCB has been issued Show cause notices to all jiggery units(kolhu) under section 31A of Air(Prevention and control of pollution)Act 1981 and imposed Environment compensation of Rs 150000/ for each jaggery units(kolhu) .(Annexure-2)

Accordingly a factual and action taken report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

  
(Dr Yogender Kumar )  
Regional Officer  
Meerut

C.C :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board,Lucknow.
2. District Magistrate Baghpat



क्षेत्रीय कार्यालय  
REGIONAL OFFICE  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No. 50/6/OA-65/MRT/2022.

दिनांक  
Dated 8-4-22.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
लखनऊ।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 02.02.2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य में पारित ओदश दिनांक 02.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके मुख्यअंश निम्नवत् है-

- Grievance in the application by applicant Mr. Ashu Chauhan is regarding running of around 30 jaggery making units (kolhu) in Village Badka, District Bagpat, Tehsil Baraut, Uttar Pradesh without following environmental norms. It is submitted that the residents of the village are suffering because of the pollution caused by this jiggery making units (Kolhu). It is prayed that these jiggery making units (Kolhu) be directed to operate outside of the Village territory and follow all environmental norms.
- Having regard to the seriousness of the allegations and taking note of the photographs enclosed in the complaint, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a joint committee of the CPCB, SPCB, Secretary-Small Scale Industry, Government of Uttar Pradesh and the District magistrate Bagpat, State of Uttar Pradesh. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. List the matter for consideration on 11-05-2022.

मा० राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा उक्त ओदश के अनुक्रम में गठित समिति द्वारा ग्राम बडका तहसील बड़ौत जनपद बागपत में स्थित कोल्हू इकाईयों का निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 को किया गया, ज्वाइंट कमेटी की निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कोल्हू इकाईयों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29.03.2022 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक्शन टेक्न रिपोर्ट दिनांक 11.05.2022 से पूर्व प्रस्तुत की जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कि कोल्हू इकाईयों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड अधिरोपित करने की कृपा करें जिससे कि ससमय मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को एक्शन टेक्न रिपोर्ट प्रेषित किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(डा० योगेन्द्र कुमार)  
क्षेत्रीय अधिकारी

du

**JOINT INSPECTION REPORT OF KOLHU AT VILLAGE -BADKA, TEHSIL-BARAUT,  
DISTRICT-BAGPAT (UTTAR PRADESH)**

**IN THE MATTER OF**

**ASHU CHAUHAN VS STATE OF UTTAR PRADESH  
(ORIGINAL APPLICATION NO. 65/2022)**

**A. Background:**

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi passed order on 02.02.2022 in the matter of Ashu Chauhan Vs State of Uttar Pradesh (OA No. 65/2022) to ascertain the factual position in the matter regarding running of around 30 Jaggery making units (Kolhu) in Village-Badka, Tehsil -Baraut, District -Bagpat, Uttar Pradesh without following environmental norms.

Relevant para of the Hon'ble NGT order is as below: -

*"2. Having regard to the seriousness of the allegations and taking note of the photographs enclosed in the complaint, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the CPCB, SPCB, Secretary-Small Scale Industry, Government of Uttar Pradesh and the District Magistrate-Bagpat, State of Uttar Pradesh. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

*List the matter for consideration on 11/05/2022."*

Copy of the referred order of Hon'ble NGT is enclosed at Annexure-1.

In pursuant to the said order, joint inspection of Kolhu (hereafter referred as "the unit") located in area in question was carried out on 03.03.2022 by a team comprising following officials:



1. Sh. Subhash Singh, Sub-District Magistrate, Tehsil -Baraut, District-Bagpat
2. Sh. Runa Oraon, Sc. 'D', CPCB, Lucknow
3. Dr. Yogendra Kumar, Regional Officer, UPPCB, Meerut
4. Smt. Archana Tiwari, Manager, Dy. Commissioner Industries, Bagpat
5. Sh. Prakhar Kumar- Asstt. Environmental Engineer

During visit, team found 24 (twenty-four) Kolhu operating in Village-Badka, Tehsil - Baraut, District -Bagpat. List of units' owner details are as below:

Sl. No.	Owner's details
1.	Mohd. Taheer S/o Mohd. Abbas
2.	Mr. Mehndi Hasan S/o Aldeen
3.	Mr. Inaam S/O Mr. Janga,
4.	Shri Rajuddin S/O Shri Mamuddin
5.	Shri Raisuddin S/O Shri Pyare
6.	Shri Jullu S/O Shri Meer Hassan
7.	Shri Shiv Kumar S/O Shri Lakhim Ram,
8.	Shri Omi S/O Shri Faisu
9.	Shri Vedu Kashyap S/O Shri Jai Singh,
10.	Shri Sonu S/O Shri Kishan Pal,
11.	Mohd. Khalid S/O Mohd. Sakoon
12.	Shri Om Prakash S/O Shri Kishan
13.	Shri Dharm Singh S/O Shri Jai Singh
14.	Shri Praveen S/O Shri Umrao Singh,
15.	Shri Islam S/O Shri Nizamuddin
16.	Shri Meer Alahi S/O Shri Sherdil
17.	Shri Sunder S/O Shri Bhore

*(Handwritten signatures and initials)*

18.	Shri Rajendra S/O Shri Jai Lal,
19.	Shri Rampal S/O Shri Kannu
20.	Shri Rahishu S/O Shri Genda
21.	Shri Sunil S/O Shri Ishwar
22.	Shri Ikrar S/O Shri Jagga
23.	Shri Karam Ilahi S/O Shri Sheruddin
24.	Mohd. Kamil S/O Shri Kutubuddin

Salient detail of all units, overall observation and recommendations based on inspection is as below:

## B. Inspection of Kolhus:

### 1. Mohd. Taheer, S/o Mohd. Abbas

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Mohd. Taheer S/o Mohd. Abbas, Village Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07337 Longitude- 77.26822
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Taheer 9045571765
3	Location of the Unit	Approx.520 mtr. Approx.0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	2.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	4 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (02 nos.)

*[Handwritten signatures and initials]*

10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	2 stacks of height approx. 04 mtr. each
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning (as reported)	2021

## 2. Mr. Mehndi Hasan, S/o Aldeen

Sr. No.	Details	Particulars
1.	Name and Address of the Unit	Mr. Mehndi Hasan S/o Aldeen, Village Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.073726 Longitude-77.269740
2.	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Mr. Mehndi Hasan 8909363054
3.	Location of the Unit	Approx.370mtr. Approx.0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4.	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	1600 kg/Day
5.	DIC Certificate (enclosed copy)	Not obtained
6.	Consent Status (enclosed copy)	Not obtained
	NOC from SPCB (enclosed copy)	Not obtained
7.	Type of Fuel	Bagasse
8.	Quantity of the fuel per day	03Ton/Day
9.	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10.	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04

*[Handwritten signatures and initials]*

	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12.	Stack Height	Approx. 04 mtr.
13.	PM Reduction Technology	Not available
14.	Ash disposal Methods	Land filling
15.	Disposal of Scum	On land
16.	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17.	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18.	Year of Commissioning	2018

### 3. Mr. Inaam, S/o Mr. Janga

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Mr. Inaam, S/o Mr. Janga, Village Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07597 Longitude-77.27325
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Mr. Inaam 7017720102
3	Location of the Unit	Approx. 550mtr. Approx 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse- 1.5 Ton/Day
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling

15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2021

#### 4. Shri Rajuddin, S/o Shri Mamuddin

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Rajuddin, S/o Shri Mamuddin, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.077631 Longitude-77.272549
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Rajuddin 9760379646
3	Location of the Unit	Approx. 100 Meter Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse- 1.5 Ton/Day
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2020

## 5. Shri Raisuddin, S/o Shri Pyare

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Raisuddin, S/o Shri Pyare, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.076181 Longitude-77.273347
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Raisuddin 9756033021
3	Location of the Unit	Approx. 50 mtr Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse- 1.5 Ton/Day
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2018

## 6. Shri Jullu, S/o Shri Meer Hassan

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Jullu S/O Shri Meer Hassan, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.060093 Longitude-77.273134
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Jullu 7895958587
3	Location of the Unit	Approx. 50 mtr Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse- 1.5 Ton/Day
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2020

**7. Shri Shiv Kumar, S/o Shri Lakhim Ram**

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Shiv Kumar, S/o Shri Lakhim Ram, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.076605 Longitude-77.2732184



2	Contact Details • Name • Contact Number	Shri Shiv Kumar 9568042561
3	Location of the Unit Distance from: • Habitat/Village: • School:	Approx. 0.5-1 km.
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse- 1.5 Ton/Day
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2018

## 8. Shri Omi, S/o Shri Faisu

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Omi S/o Shri Faisu, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.076742 Longitude- 77.273479
2	Contact Details • Name • Contact Number	Shri Omi 9917082571
3	Location of the Unit Distance from:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	Approx. 50 mtr Approx. 0.5-1 km.
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse- 1.5 Ton/Day
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2007

### 9. Shri Vedu Kashyap, S/o Shri Jai Singh

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Vedu Kashyap, S/o Shri Jai Singh, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07753 Longitude- 77.273461
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Vedu Kashyap 8126436972
3	Location of the Unit	Approx. 50 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained

6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse- 1.5 Ton/Day
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2015

### 10. Shri Sonu, S/o Shri Kishan Pal

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Sonu, S/o Shri Kishan Pal, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.09426 Longitude- 77.27073
2	Contact Details • Name • Contact Number	Shri Sonu 6397273601
3	Location of the Unit	Approx. 215 Mils Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: • Habitat/Village: • School:	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace:	Conventional (01 no.)

	Refractory Brick or Conventional	
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 10mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2018

### 11. Mohd. Khalid S/O Mohd. Sakoon

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Mohd. Khalid S/oMohd. Sakoon, Village- Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude-29.07425 Longitude- 77.27352
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Mohd Khalid 8755242096
3	Location of the Unit	Approx. 50 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control	Not available

	Mechanism/Status of flap	
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2017

### 12. Shri Om Prakash, S/o Shri Kishan

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Om Prakash S/o Shri Kishan, Village- Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.076655 Longitude- 77.273396
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Om Prakash 8958997745
3	Location of the Unit	Approx. 50 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	One Furnace Conventional
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	03 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available

14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2015

**13. Shri Dharm Singh, S/o Shri Jai Singh**

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Dharm Singh S/o Shri Jai Singh, Village- Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07425 Longitude- 77.27284
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Dharam Singh 7457836653
3	Location of the Unit	Adjacent to Village Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 10mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor

18	Year of Commissioning	2007
----	-----------------------	------

#### 14. Shri Praveen, S/o Shri Umrao Singh

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Praveen S/o Shri Umrao Singh, Village- Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07377 Longitude- 77.268188
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Praveen 9012150390
3	Location of the Unit	Approx. 520 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 20mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2021

#### 15. Shri Islam, S/o Shri Nizamuddin






Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Islam S/o Shri Nizamuddin, Village- Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07394 Longitude- 77.26968
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Islam 9568964446
3	Location of the Unit	Approx. 380 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	04 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	04 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Two Furnace Conventional
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 20mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2021

### 16. Shri Meer Alahi S/O Shri Sherdil

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Meer Alahi, S/o Shri Sherdil, Village- Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07422 Longitude- 77.27073



2	Contact Details • Name • Contact Number	Shri Meer Alahi 9837324865
3	Location of the Unit	Approx. 260 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: • Habitat/Village: • School:	
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick or Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	04 Pan
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 20mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2020

### 17. Shri Sunder, S/o Shri Bhoire

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Sunder, S/o Shri Bhoire, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07425 Longitude- 77.27284
2	Contact Details • Name • Contact Number	Shri Sunder 8171046230
	Location of the Unit	
3	Distance from:	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	Approx. 30 mtr. Approx. 0.5-1 km.
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	15 Quintal/day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	20 Quintal/day
9	Type of furnace:	Conventional (01 no.)
	Refractory Brick of Conventional	
10	Multi Pan	04 Pan
	No. of Pan in Series	
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3 times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	2016

### 18. Shri Rajendra, S/o Shri Jai Lal

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Rajendra S/O Shri Jai Lal, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.0744952 Longitude- 77.2718335
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Rajendra 8279879387
3	Location of the Unit	
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	Approx. 125 mtr. Approx. 0.5-1 km.
4	Types of Products	Gur
	Production Capacity	1400 Quintal/day
5	DIC Certificate	Not obtained

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	600 Kg/day
9	Type of furnace: Refractory Brick of Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	No
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 03mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	2times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	04 Years

### 19. Shri Rampal, S/o Shri Kannu

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Rampal, S/o Shri Kannu, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.0741008 Longitude- 77.2723131
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Rampal 8057146996
3	Location of the Unit	Approx. 70 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	700 Kg/day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	600 Kg/day
9	Type of furnace:	Conventional (01 no.)

	Refractory Brick of Conventional	
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 03mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	2times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	01 Years

### 20. Shri Rahishu, S/o Shri Genda

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Rahishu S/O Shri Genda, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.0725694 Longitude- 77.2749574
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Rahishu 8171713543
3	Location of the Unit	Approx. 80 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	2000 Kg/day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	2000 Kg/day
9	Type of furnace: Refractory Brick of Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04
11	Excess air control	Not available

	Mechanism/Status of flap	
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 03mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	2times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	02 Years

### 21. Shri Sunil, S/o Shri Ishwar

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Sunil, S/o Shri Ishwar, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.0730185 Longitude- 77.2744632
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Sunil 7505442849
3	Location of the Unit	Approx. 50 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	1500 Kg/day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1500 Kg/day
9	Type of furnace: Refractory Brick of Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 04mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available

14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	2times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	05 Years

## 22. Shri Ikrar, S/o Shri Jagga

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Ikrar, S/o Shri Jagga, Village-Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07373 Longitude- 77.26928
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Ikrar 9758073580
3	Location of the Unit	Approx. 350 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	1.5 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1.5 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick of Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	04 Pan
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 12mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor

**23. Shri Karam Ilahi S/O Shri Sheruddin**

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Shri Karam Ilahi S/O Shri Sheruddin, Village- Badka, Bagpat
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.07426 Longitude- 77.27073
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Shri Karam Ilahi 9837324865
3	Location of the Unit	Approx. 380 Mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	3.0 Ton/Day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	04 Ton/Day
9	Type of furnace: Refractory Brick of Conventional	Conventional (02 nos.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	15 and 18mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	3times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	I <sup>st</sup> 2012 and II <sup>nd</sup> 2018

**24. Mohd. Kamil S/o Shri Kutubuddin**

Sr. No.	Details	Particulars
1	Name and Address of the Unit	Mohd. Kamil S/o Shri Kutubuddin, Village- Badka, Bagpat, Bagpat Residence of Village Mimla, Distt. Shamli, UP
	Geo Co-ordinate	Latitude- 29.0733662 Longitude- 77.2677892
2	Contact Details <ul style="list-style-type: none"> <li>Name</li> <li>Contact Number</li> </ul>	Mohd Kamil 7668617760
3	Location of the Unit	Approx. 600 mtr. Approx. 0.5-1 km.
	Distance from: <ul style="list-style-type: none"> <li>Habitat/Village:</li> <li>School:</li> </ul>	
4	Types of Products	Gur (Jaggery Unit)
	Production Capacity	1400 Kg/day
5	DIC Certificate	Not obtained
6	Consent Status	Not obtained
	NOC from SPCB	Not obtained
7	Type of Fuel	Bagasse
8	Quantity of the fuel per day	1400 Kg/day
9	Type of furnace: Refractory Brick of Conventional	Conventional (01 no.)
10	Multi Pan	Yes
	No. of Pan in Series	04 Pan
11	Excess air control Mechanism/Status of flap	Not available
	Status of Fire Grate	Not available
	Status of Baffle	Not available
12	Stack Height	Approx. 04mtr.
13	PM Reduction Technology	Not available
14	Ash disposal Methods	Land filling
15	Disposal of Scum	On land
16	Frequency Washings of Pans and disposal of waste water	02times in a day
17	Hygienic/Housekeeping Status	Poor
18	Year of Commissioning	02 years

## C. Observations:

1. All kolhus are located in Village Badka. During inspection, all units were found operational.
2. Kolhu come under Orange Category as per classification of industries. However, no kolhus have obtained consent to operate from UPPCB.
3. It has been observed that most of the Kolhus are not meeting the CPCB guideline of location as kolhus are not allowed to set up at location within 0.5 km distance from approved habitation, school, hospitals and the sensitive zones.
4. Electricity Department has given electricity connection to all Kolhus for operation of Kolhu without verifying that Kolhus have not obtained necessary permission from UPPCB for operation.
5. None of the Kolhus are registered with District Industries Centre.
6. During inspection, it was observed that bagasse is used as fuel in furnace. Rubber, tyres, plastic were not observed to be used in Kolhus.
7. Most of the kolhus are having 03 to 04 pan for heating of juice.
8. None of the Kolhus have installed flap in fuel feed hole at furnace to control excess air as per CPCB guidelines.
9. None of the Kolhus have made provision of fire grate for efficient burning of fuel in furnace as per CPCB guidelines.
10. None of the Kolhus have made provision of baffle in flue gas path leading to stack to contain the particulate matter as per CPCB guidelines.
11. None of the kolhus have installed stack of minimum height 10 m as per CPCB guidelines.
12. Furnace ash is also found disposed off on land indiscriminately.

#### **D. Recommendations:**

It is evident from above observation that Kolhus were operated without mandatory permission from UPPCB and also not established complying with CPCB guidelines. Further, it was also observed that all kolhus were having electricity connection for operation of Kolhus without verifying facts that all kolhus have not been granted mandatory permission from UPPCB. Hence, all kolhus shall be directed for not



operating till complying with CPCB guideline and mandatory permission from UPPCB is obtained. Joint committee has recommended for action taken against the Kolhus under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as well as imposed Environment Compensation as per CPCB guidelines.

**Inspecting Officials:**

- 1 Sh. Subhash Singh, Sub-District Magistrate, Tehsil -Baraut, District-Bagpat
- 2 Sh. Runa Oraon, Sc. 'D', CPCB, Lucknow
- 3 Dr. Yogendra Kumar, Regional Officer, UPPCB, Meerut
- 4 Smt. Archana Tiwari, Manager, Dy. Commissioner Industries, Bagpat
- 5 Sh. Prakhar Kumar – Asstt. Environmental Engineer



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 174609 /सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/गेरठ/2022 दिनांक 21/4/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री ओमी पुत्र श्री फेसू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री ओमी पुत्र श्री फेसू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री ओमी पुत्र श्री फेसू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री ओमी पुत्र श्री फेसू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री ओमी पुत्र श्री फेसू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री ओमी पुत्र श्री फेसू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री ओमी पुत्र श्री फेसू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


2/-

AEE  
for. wa  
24/4/2022

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संरतुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम यड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनोंक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनोंक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरूपित कर उक्त की दसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरूपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

१८३



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 4746/0 /सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/मेरठ/2022

दिनांक 21/4/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आरू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-


1. यह कि क्यों न श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री सोनू पुत्र श्री कृष्ण पाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं शंरुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०पी० द्वारा विकसित की गयी मेथाडोलीजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री ओमो पुत्र श्री फेरू द्वारा संचालित कोल्टू (गुड इकाई), गाम यड़का, तहसील बड़ीत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० र/० ०५/२०२२ आशु, चौथान बन्नाम ३०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०२.०२.२०२२ से निरीक्षण दिनांक ०३.०३.२०२२ तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल ३० उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रु०-६०००/- प्रतिदिन की दर से कुल रु०-१८००००/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उचित की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष १५ दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८६ यथासंशोधित की धारा ३१-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-३)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ३०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, ३०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या १५ दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-३)

०/८४



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 177/2022 /सी-3/वायु-749/का080नोटिस/भेरठ/2022 दिनांक 21-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री जुल्लू पुत्र श्री भीर हसन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री जुल्लू पुत्र श्री भीर हसन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संगुप्त समिति द्वारा श्री जुल्लू पुत्र श्री भीर हसन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा रथापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री जुल्लू पुत्र श्री भीर हसन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री जुल्लू पुत्र श्री भीर हसन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री जुल्लू पुत्र श्री भीर हसन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री जुल्लू पुत्र श्री भीर हसन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

ACE  
for me  
22/4/2022

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संरक्षित के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0वी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री जुल्लू पुत्र श्री मीर हरान द्वारा संचालित कोल्डू (गुड इकाई), ग्राम बड़की, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू0-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पत्र 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

*[Handwritten Signature]*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 फ़वर कार्पोरेशन लि0, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*[Handwritten Signature]*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

6/8



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H/19/2 / सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/मेरठ/2022

दिनांक 21/4/22

सेवा में

पंजीकृत

श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्गित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वभाविक है। ग्राम बड़का में कलक्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञात्मक प्रावधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विलुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण वताओं नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


2/-

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडॉलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री रईसुद्दीन पुत्र श्री प्यारे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम वड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान वनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

9/08



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 174615 / सी-3 / वायु-749 / का0व0नोटिस / मेरठ / 2022

दिनांक 21-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री रजुददीन पुत्र श्री मामुददीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री रजुददीन पुत्र श्री मामुददीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि म० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री रजुददीन पुत्र श्री मामुददीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वामाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री रजुददीन पुत्र श्री मामुददीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री रजुददीन पुत्र श्री मामुददीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री रजुददीन पुत्र श्री मामुददीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री रजुददीन पुत्र श्री मामुददीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-


टी0सी0-12 वी, विगति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडॉलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री रज्जुद्दीन पुत्र श्री मामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ीत, जनपद वागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उत्त्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उत्त्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, वागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, वागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विनियमन खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, वागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

6/8



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H74617 / सी-3/वायु-749/का0य0नोटिस/भेरठ/2022 दिनांक 21/9/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना स्मॉकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।  
यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विमूर्ति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com


T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संरक्षित के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०बी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री इनाम पुत्र श्री जंगा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम ₹०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

9/8



Handwritten signature/initials

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ

संख्या 174618

/सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/मेरठ/2022

दिनांक

21-9-22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए। यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com


T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0वी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री करमू इलाही पुत्र श्री शेरुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), गम बड़का, तहसील चड़ौत, जनपद बागपत पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू0-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के समन्वय में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

0/08



Ankur-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1474/20 /सी-3/वायु-749/का0व0नोटिस/मेरठ/2022 दिनांक 21/4/22

सेवा में,

पंजीकृत

मो0 ताहिर पुत्र मो0 अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि मो0 ताहिर पुत्र मो0 अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा मो0 ताहिर पुत्र मो0 अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई विना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं विना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा विना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि मो0 ताहिर पुत्र मो0 अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मो0 ताहिर पुत्र मो0 अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मो0 ताहिर पुत्र मो0 अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए। यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि मो0 ताहिर पुत्र मो0 अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-


टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010 T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gogti Ngr, Lucknow-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com e-mail: info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com Web site www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मा० ताहिर पुत्र मा० अब्बास द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम ₹०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उचित की गसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथारसंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सन्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

7/ 3



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

1774619

/सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/गेरर/2022

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

श्री मेहंदी हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री मेहंदी हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री मेहंदी हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयाँ संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री मेहंदी हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री मेहंदी हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री मेहंदी हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री मेहंदी हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


.....2/-

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०बी० द्वारा विकसित की गयी मेथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री मेहंदा हसन पुत्र अलादीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

१८३



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 17/162 /सी-3/वायु-749/का0व0नोटिस/मेरठ/2022

दिनांक 21-11-22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

यह कि क्यों न श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।  
यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Acc  
for v  
22/11/2022

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संरक्षित के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाइलोजी के अनुरार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री सुन्दर पुत्र श्री भोरे द्वारा संचालित कोल्हू (गुड इन्फ्राई), गाग बड़का, तहसील बडौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आरू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोपजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

9.80



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H/74603 / सी-3 / वायु-749 / का0ब0नोटिस / मेरठ / 2022 दिनांक 21/4/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत/जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।  
सह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


.....2/-

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संरक्षित के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मेथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री इसलाम पुत्र निजामुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

१८८



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 17/4607/सी-3/वायु-749/का0व0नोटिस/मेरठ/2022

दिनांक 21-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विगूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com e-mail: info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com Web site www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0वी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री शिव कुमार पुत्र श्री लखीम राम द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम ₹50-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹0-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

o/c &



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

174604

सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/भेरठ/2022

दिनांक

21-4-22

सेवा में,

श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

पंजीकृत

यह कि श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वामाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विगूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेब साइट [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)


Acc  
for info  
22/4/2022

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडॉलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री प्रवीन पुत्र श्री उमराव सिंह द्वारा संचालित कॉल्डू (गुड इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आर्यू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण वताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण वताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोपजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण वताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

१/८/२४



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

1974/2022

/सी-3/वायु-749/का0व0नोटिस/मेरठ/2022

दिनांक

21-4-22

सेवा में,

मो0 खालिद पुत्र मो0 सकून द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

पंजीकृत

यह कि मो0 खालिद पुत्र मो0 सकून द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा मो0 खालिद पुत्र मो0 सकून द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि मो0 खालिद पुत्र मो0 सकून द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन म्रनस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मो0 खालिद पुत्र मो0 सकून द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मो0 खालिद पुत्र मो0 सकून द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि मो0 खालिद पुत्र मो0 सकून द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति की तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

टी0सी0-12 गी, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

2/-

ACE  
22/4/2022

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एव संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०टी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मो० खालिद पुत्र मो० सयूक द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ोता, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम ₹०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

9/12



Annexure-2

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ

संख्या

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

पंजीकृत .

यह कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निरंतरण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विगृति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेब साइट [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0वी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडॉलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री किशन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड इकाई), ग्राम वड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू0-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

9/8



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 174608 / सी-3 / वायु-749 / का040नोटिस / मंत्र / 2022

दिनांक 21/4/22

सेवा में,

पंजीकृत

मो० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि मो० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा मो० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित है। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह कि मो० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन नानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मो० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न मो० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि मो० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संरक्षित के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथिलीलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मा० कामिल पुत्र श्री कुतुबुद्दीन द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आरू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतुष्टिजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

*Rajyap*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*Rajyap*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

6/28



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1474593 / सी-3 / वायु-749 / का0ब0नोटिस / मेरठ / 2022

दिनांक 21-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिन्ड मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयाँ संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित अग्रज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


.....2/-

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0वी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडॉलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री वेदू कश्यप पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील पड़ौत, जनपद वागपत पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू0-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उवत्त की गसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, वागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, वागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, वागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

6/8



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1174594 / सी-3 / वायु-749 / का0व0नोटिस / मेरठ / 2022

दिनांक 21-4-22

सेवा में,

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-वागपत।

पंजीकृत

यह कि श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई विना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं विना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा विना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद वागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद वागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि वयं न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी0पी0सी0वी0 द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री धर्म सिंह पुत्र श्री जय सिंह द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू0-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू0-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित चार उवत की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण वताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण वताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोपजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण वताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित चार दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

*Ranjana*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*Ranjana*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

१८४



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 474595 / सी-3 / वायु-749 / का0व0नोटिस / मेरठ / 2022

दिनांक 21/4/22

सेवा में,

पंजीकृत

श्री मीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

यह कि श्री मीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान वनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री मीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री मीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री मीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री मीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।  
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री मीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गंगती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति को परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडॉलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री गीर अलाही पुत्र श्री शेरदिल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम वड़का, तहसील वड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम ₹०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

*Ranjana*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के समन्वय में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*Ranjana*

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

९/८४



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

174598

/सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/मेरठ/2022

दिनांक

सेवा में,

श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-वागपत।

पंजीकृत

यह कि श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 05/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई विना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं विना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा विना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-वागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद वागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद वागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विगृति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ-226010

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)

e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)

वेब साइट [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री रहिषू पुत्र श्री गेन्दा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

0/08



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 474597/सी-3/वायु-749/का0ब0नोटिस/मेरठ/2022 दिनांक 21/4/22

सेवा में,

श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

पंजीकृत

यह कि श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए। यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

AGE  
for-v a2  
22/4/2022

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री इकरार पुत्र जग्गा द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम वड़का, तहसील वड़ोत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए०, सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्वन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

०/०४



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

सेवा में,

श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

दिनांक

पंजीकृत

यह कि श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयाँ संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-


1. यह कि क्यों न श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए। यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री सुनील पुत्र श्री ईश्वर द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम ₹०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

९८४



Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 474599 / सी-3 / वायु-749 / का0ब0नोटिस / मेरठ / 2022 दिनांक 21/4/22

सेवा में,

श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

पंजीकृत

यह कि श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयाँ संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री राजेन्द्र पुत्र श्री जय लाल द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बखौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

१/८/२०

Amroha-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संख्या संख्या 75600 / सी-3 / वायु-749 / का040नोटिस / गेरठ / 2022 दिनांक 21/4/22

सेवा में,

श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई),  
ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत,  
जनपद-बागपत।

पंजीकृत

यह कि श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत जोकि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2022 आशू चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत का दिनांक 03.03.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्हू संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित नहीं पाया गया। कोल्हू इकाई पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी और न ही चिमनी पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित पायी गयी। कोल्हू इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। निरीक्षण के समय कोल्हू इकाई बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये संचालित की जा रही थी, जिससे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। ग्राम बड़का में कलस्टर में स्थापित एवं बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा बिना मानकों के अनुरूप चिमनी के कोल्हू इकाईयों संचालित हैं। कोल्हू इकाई का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर अपने प्रदूषित उत्सर्जकों का निस्तारण कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध, है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद-बागपत के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

.....2/-

टी0सी0-12 बी, विमूक्ति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 T.C-02 V, Vibhuti Khnd, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
ई-मेल-info@uppcb.com e-mail: info@uppcb.com  
वेब साइट www.uppcb.com Web site www.uppcb.com

(2)

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सी०पी०सी०वी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त श्री रामपाल पुत्र कन्नू द्वारा संचालित कोल्हू (गुड़ इकाई), ग्राम बड़का, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत पर मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 65/2022 आशू चौहान बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.02.2022 से निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 तक की अवधि हेतु अर्थात् कुल 30 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु न्यूनतम रू०-5000/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-150000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि तथा उल्लंघनकारी दिवसों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, बागपत ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, बागपत ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, बागपत ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

G/C 8